न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

अपील संख्या : 46/2011 शस्त्र अधिनियम्

अनवानी :– ओम प्रकाश पुत्र श्री राजाराम बिश्नोई जाति बिश्नोई निवासी 13 के. एस.डी. अलीपुरा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

—— अपीलान्ट

— बनाम —

राजस्थान राज्य

—— रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– श्री जितेन्द्र कुमार — अभिभाषक अपीलांट

श्री गजेन्द्रसिंह — सहायक लोक अभियोजक, राज्य पक्ष की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 3.9.2019

1. यह अपील शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 01.07.2010, जिसमें अपीलांट द्वारा प्रस्तुत शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने का आवेदन पत्र निरस्त किया गया, के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।
2. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने अपने पिता स्व. श्री राजाराम बिश्नोई के नाम से बने शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 651/1973 डीएम फिरोजपुर (पंजाब) पर दर्ज 12 बोर डीबीबीएल गन नं. 211 प्राप्त करने के उद्देश्य से अपने नाम से नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने हेतु जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर से रिपोर्ट ली गई। चूँकि उक्त लाईसेंस जिला फिरोजपुर (पंजाब) से समस्त भारत के लिये जारी हुआ है और जिला श्रीगंगानगर और समस्त राजस्थान से एक बार भी नवीनीकरण नहीं किया गया है। आवेदक जिला श्रीगंगानगर का निवासी है। इस संबंध में जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा गृह (ग्रुप–9) विभाग, राज. जयपुर से जरिये पत्रांक 3530 दिनांक 17.05.2010 में मार्गदर्शन लिया गया। गृह (ग्रुप–9)विभाग, राज.जयपुर ने अपने मार्गदर्शन पत्र दिनांक 21.6.10 में उल्लेख

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

3.

किया है कि "आवेदक श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री राजाराम बिश्नोई निवासी अलीपुरा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर के मृतक पिता को पंजाब राज्य से शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी है। अतः उत्तराधिकारी के रूप में शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी नहीं किया जा सकता।" इसी का आधार लेते हुए अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेशात्मक पत्र क्रमांक 6857 दिनांक 01.07.2010 अपीलांट को प्रेषित करते हुए अपीलांट का आवेदन पत्र दाखिल दफतर किये जाने की सूचना दी गई, जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

4. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब कर प्राप्त किया गया तथा बहस उभय पक्ष सुनी गई।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट श्री जितेन्द्र कुमार का मुख्य कथन है कि अपीलांट अपने पिता के देहान्त के बाद उनके नाम से जारी शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 651/1973 एडीएम फिरोजपुर पंजाब पर दर्ज शस्त्र को प्राप्त करने के उद्देश्य से अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने नाम से नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। अपीलांट के पिता के नाम का उक्त शस्त्र अनुज्ञा पत्र का एडीएम फिरोजपुर द्वारा समय–समय पर नवीनीकरण किया जाता रहा है। उक्त लाईसेंस दिनांक 22.11.2009 तक नवीनीकृत था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार, सादुलशहर को मृतक श्री राजाराम के वारिसान के बयानात लेने हेतु निर्देशित भी किया गया था। इस संबंध में थानाधिकारी, सादुलशहर से भी रिपोर्ट ली गई। सभी रिपोर्ट अपीलांट के पक्ष में रही है। समस्त पुलिस रिपोर्ट अपीलांट के पक्ष में आई है। अपीलांट जिला श्रीगंगानगर का निवासी है। रिपोर्ट में अपीलांट के खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई गैर कानूनी कार्य अथवा किसी भी प्रकार का कोई मुकदमा नहीं होना अंकित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने गृह विभाग के पत्र दिनांक 21.6.2010 में दिये निर्देशों की पालना में ही अपीलांट का आवेदन खारिज किया है, जो कतई न्याय संगत नहीं है। अपीलांट के पिता के नाम से जारी उक्त लाईसेंस समस्त भारत के लिये बना हुआ है तो वह कहीं भी नवीनीकरण हो सकता है और भारत में उसके उत्तराधिकारी के नाम से शस्त्र लाईसेंस जारी किया जा सकता है लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने अपना माईन्ड सही तौर पर एप्लाई नहीं किया है। पुलिस रिपोर्ट में अपीलांट के विरूद्ध कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है। अपीलांट का आचरण किसी भी प्रकार से संदिग्ध, संदेहास्पद व शिकायत पूर्ण नहीं रहा है।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अपीलांट एक मौतबीर व्यक्ति है तथा पेशे से कृषक है जो शांतिप्रिय है। समाज में उसकी अच्छी प्रतिष्ठा है। अपीलांट के खिलाफ धारा 17 शस्त्र अधिनियम के तहत कोई आरोप नहीं लगे हैं। अतः उपरोक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे।

6. विद्वान सहायक लोक अभियोजक श्री गजेन्द्रसिंह ने राज्य पक्ष की ओर से बहस करते हुए कथन किया कि प्रकरण मृतक पिता का है, मृतक श्री राजाराम के नाम से जारी शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 651/1973 एडीएम फिरोजपुर पंजाब से जारी था और उसका राजस्थान में कहीं से भी कभी नवीनीकरण नहीं करवाया गया है। अपीलांट जिला श्रीगंगानगर का निवासी है। इस संबंध में गृह (ग्रुप–9) विभाग, जयपुर का पत्र दिनांक 21.6.2010 में यह मार्गदर्शन दिया गया है कि उत्तराधिकार के रूप में शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी नहीं किया जा सकता है, जो उचित है। अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश उचित आधारों पर पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावे ।

7. हमने उभय पक्ष की बहस को मध्यनजर रखते हुए उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया । प्रथमतः अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये हैं, जिसमें उल्लेखित तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलांट अन्दर मियाद शुमार की जाती है। विद्वान अभिभाषक अपीलांट का वरवक्त बहस मुख्य कथन यह है कि अपीलांट अपने मृतक पिता श्री राजाराम के नाम से जारी शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 651/1973 एडीएम फिरोजपुर पंजाब पर दर्ज शस्त्र 12 बोर गन को प्राप्त करने के उद्देश्य से अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। इस संबंध में मृतक के शेष वारिसान की सहमति भी थी। परन्तु अधिनस्थ न्यायालाय ने उक्त लाईसेंस फिरोजपुर से बना होने तथा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान में कहीं से नवीनीकरण नहीं होने का उल्लेख करते हुए गृह विभाग से मार्गदर्शन मांगा। गृह विभाग द्वारा उत्तराधिकारी के रूप में शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी नहीं किये जाने का निर्देश दिया गया, जो अनुचित व गैर कानूनी है। अपीलांट के पिता का उक्त लाईसेंस समस्त भारत के लिये जारी था और वो भारत में कहीं से भी नवीनीकरण करवाया जा सकता है। परन्तु विद्वान सहायक लोक अभियोजक ने अपनी बहस में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को उचित ठहराया है।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने मृतक प्रकरण में अपीलांट का आवेदन पत्र गृह विभाग द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों, मार्गदर्शन के अनुसार अपीलाधीन आदेश पारित कर निरस्त किया गया है, जो उचित प्रतीत होता है।

8. अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया आवेदन पत्र जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा उचित ही खारिज किया गया है, जिसमें हम किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना उचित नहीं समझते हैं। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने भी हमारे समक्ष कोई नवीन साक्ष्य–सबूत आदि प्रस्तुत नहीं किये हैं, जिस पर गौर किया जा सके।

9. उपरोक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.07.2010 यथावत रखते हुए अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

10. तद्अनुसार अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो । आदेश आज दिनांक 3.9.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमानसहाय मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर